प्रेषक

जिलाधिकारी,
महोबा।

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001

दिनांक–14....जुलाई 20

पत्रांक RO camp /क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/20

विषय– **माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन में आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.12.2019 को जनपद महोबा में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशरों के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

'' Accordingly, report has been filed on 22.10.2019 acknowledging violations and mentioning taking of remedial action. However, the report does not mention the assessment and recovery of compensation. It is desirable that whenever violations are noticed, the compensation must be assessed and recovered, after following due procedure of granting opportunity to the affected parties.''

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में तथ्यात्मक व ऐक्शन टेकन रिपोर्ट का विवरण निम्नवत् है।

1. सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा उक्त प्रकरण में 1–मैसर्स मॉ शारदा ग्रेनाइट, बिलबई महोबा, 2–मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, महोबा, 3–मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट पुराना नाम शुभम ग्रेनाइट, डहर्रा कबरई, महोबा, 4–मैसर्स जय मॉ गंगोत्री ग्रेनाइट पुराना नाम रवी ग्रेनाइट, काली पहाडी, कबरई, महोबा, को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत बंदी निर्देश व बंदी आदेश जारी किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 16.09.2019 को जिला प्रशासन महोबा के द्वारा उक्त चार उद्योग को बंदी कराया गया । 1–मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, 2–मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, काली पहाडी, कबरई, महोबा शेष 02 उद्योगों को बोर्ड के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन किया गया जिसके उपरान्त उक्त दोनों उद्योगों के विरूद्ध उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि दिनांक 06.01.2020 को बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है और उक्त उद्योग के द्वारा बोर्ड को सूचना प्रेषित की गई है कि वर्तमान में उद्योग को स्वतः बन्द रखा गया है को दृष्टिगत रखते हुए 06 उद्योगों के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसेसमेन्ट किया गया जिसमें से 03 उद्योग (मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, महोबा, मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, काली पहाडी, कबरई, महोबा) को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाया गया, छायाप्रति संलग्न है की संस्तुति दिनांक 13.01.2020 को बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक–1)
2. उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय बॉदा द्वारा दिनांक 13.01.2020 को बोर्ड मुख्यालय को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु की गई संस्तुति के आधार पर मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, महोबा, मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, काली पहाडी, कबरई, महोबा को सक्षम अधिकारी (सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ) के

c:\users\hp\desktop\letter1.docx

Scanned with CamScanner

द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित के लिए कारण बताओ नोटिस का अनुमोदन क्षेत्रीय अधिकारी को दिनांक 14.01.2020 को प्राप्त हुआ जिसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा उपरोक्त तीनों उद्योगों मे से 01 उद्योग मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, कबरई, महोबा को दिनांक 08.01.2020 (माननीय एनजीटी में ओ0ए0 सं0 154/2018 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,68,750.00 (एक लाख अरसठ हजार सात सौ पचास रू0) अधिरोपित करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.01.2020 को जारी किया गया) तथा शेष 02 उद्योग मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई महोबा को रू0 1,75,000.00 (एक लाख पचहत्तर हजार रू0) व मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट काली पहाडी, कबरई महोबा को रू0 62,500 (बासठ हजार पॉच सौ रू0) दिनांक 14.01.2020 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित के लिए कारण बताओ नोटिस प्रेषित की गई है। (संलग्नक–2)

3. उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा1– मैसर्स कृष्णा ग्रेनाईट, काली पहाड़ी कबरई, महोबा, 2– मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, 3– मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट काली पहाडी, कबरई महोबा को बोर्ड के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित की गई थी, जिसके उपरान्त उद्योग के द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के जांचोपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 1450/एन0जी0टी0–525/2019 दिनांक 20.03.2020 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की गई थी, जिसके उपरान्त सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उक्त तीनों उद्योगों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधरोपित किये जाने हेतु अनुमोदन क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 08.07.2020 को प्राप्त हुआ, जिसके उपरान्त उक्त तीनों उद्योगों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर पत्र दिनांक 10.07.2020 को प्रेषित किया गया। (संलग्नक–3)

अतः माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन में संयुक्त कृत कार्यवाही की आख्या सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

14/7/2020

(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी,
महोबा

2

c:\users\hp\desktop\letter1.docx

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 1

कृपया अवगत होना चाहें कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

O.A. No. 525/2019, Madan Pal Singh & Others Vs. U.P State Pollution Control Board & Ors. has been taken up on the report today and it was informed to the Tribunal that for stone crushers out of six have been closed down and the same is duly recorded in the aforesaid report. (A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.) So far as the rest of the two stone crushers are concerned show cause notice for closure has been issued the Tribunal, however raised a query regarding non-imposition of EC on account of illegal operation and non compliance of earlier show cause notice. Further the Tribunal has directed the Board to submit the report regarding inposition of EC and recovery of the amount within two weeks.

निम्नलिखित उद्योग पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार फार्मूला निम्नवत है–

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)

N=No. of days from which the non-compliance has been observed=

R= (R factor in Rupees).

S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).

LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba**, lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

There for EC=PI x N x R x S x LF

=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0 = 6250 x N

क0 सं0	उद्योग (स्टोन क्रशर का नाम व पता)	कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश का विवरण	डिफाल्टिंग (निरीक्षण) दिनांक	जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा बन्दी दिनांक	डिफाल्टिंग अवधि (दिन)	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिदिन (रूपय में)	कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)
1	M/s Maa sharda Granite Bilbai Mahoba	Self closed & Closed by Dist. Committee	04.09.2019	16/09/2019	....	....	Self Closed
2	M/S Paras Granite Bilbai, Kabrai, Mahoba.	Self Closed	27.09.2019	24/10/2019	28	6,250.00	1,75,000.00

d:\stone crusher ec\note sheet o.a 525.docx

Scanned with CamScanner

3	M/S Krishna Granite Kali Pahadi, Mahoba	Closed by Dist. Committee	04.09.2019	30.09.2019	27	6,250.00	1,68,750.00 (ओ0ए0 154/2018 में सदस्य सचिव महोदय स्तर से दिनांक 08.01.2020 को अनुमोदन प्राप्त है।)
4	M/S R.B Associate, Bilbai, Kalipahadi, Kabrai, Mahoba	Self Closed	01.01.2020	10-01-2019	10	....	62,500.00
5	M/s Arihant Granite Old Name Shubham Granite Daharra Kabrai, Mahoba	Self Closed & Closed by Dist. Committee	04.09.2019	04/09/2019 & 16/09/2019	....	....	Self Closed
6	M/s Jai Maa Gangotri Granite (Old Name-Ravi Granite), Kalipahadi, Kabrai, Mahoba	Self closed & Closed by Dist. Committee	04.09.2019	16/09/2019	....	....	Self Closed

उपरोक्तानुसार उपरोक्त इकाईयां राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित किया गया है जो जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन दर्शाता है। उक्त के दृष्टिगत सन्दर्भित उद्योगों पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त इकाईयों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न किये जाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। उपरोक्त उद्योगो पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की गणना आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

14/1/20

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

<u>मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय</u>

d:\stone crusher ec\note sheet o.a 525.docx

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 2

कृपया अवगत होना चाहें कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

O.A. No. 525/2019, Madan Pal Singh & Others Vs. U.P State Pollution Control Board & Ors. has been taken up on the report today and it was informed to the Tribunal that for stone crushers out of six have been closed down and the same is duly recorded in the aforesaid report. (A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.) So far as the rest of the two stone crushers are concerned show cause notice for closure has been issued the Tribunal, however raised a query regarding non-imposition of EC on account of illegal operation and non compliance of earlier show cause notice. Further the Tribunal has directed the Board to submit the report regarding inposition of EC and recovery of the amount within two weeks.

निम्नलिखित उद्योग पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार फार्मूला निम्नवत है–

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)

N=No. of days from which the non-compliance has been observed=

R= (R factor in Rupees).

S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).

LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba**, lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

There for EC=PI x N x R x S x LF

=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0 = 6250 x N

क0 सं0	उद्योग (स्टोन कशर का नाम व पता)	कारण बताओ नोटिस/ बन्दी आदेश का विवरण	डिफाल्टिंग (निरीक्षण) दिनांक	जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा बन्दी दिनांक	डिफाल्टिंग अवधि (दिन)	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिदिन (रूपय में)	कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)	उद्योग को प्रेषित पत्र का विवरण (कारण बताओ नोटिस)	दिनांक
1	M/S Krishna Granite Kali Pahadi, Mahoba	Closed by Dist. Committee	04.09.2019	30.09.2019	27	6,250.00	1,68,750.00	1029/एन.जी.टी–154/ महोबा/20	09-01-2020
2	M/S Paras Granite Bilbai, Kabrai, Mahoba.	Self Closed	27.09.2019	24/10/2019	28	6,250.00	1,75,000.00	1091/एन.जी.टी–154 /महोबा /20	14-01-2020
3	M/S R.B Associate, Bilbai, Kalipahadi, Kabrai, Mahoba	Self Closed	01.01.2020	10-01-2020	10	6,250.00	62,500.00	1092/एन.जी.टी–154 /महोबा /20	14-01-2020
Total EC							Rs. 4,06,250.00		

h

d:\stone crusher ec\new 525 letter.docx

Scanned with CamScanner

उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में वर्णित स्टोन क्रशर इकाईयों को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित करने एवं जल/वायु प्रदूषण अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू०पी० स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के अनुपालन उपरोक्त वर्णित तालिका में वर्णित अवधि हेतु कुल 03 स्टोन क्रशर्स इकाईयों को कुल रू 4,06,250.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजे जाने की मा० एन०जी०टी० के अदेशानुसार एवं बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अनुमोदन दिनांक 08.01.2020 व 14.01.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके अनुपालन में उपरोक्त तालिका में वर्णित स्टोन क्रशर इकाईयों को दिनांक 09.01.2020 व 14.01.2020 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उक्त तीनों स्टोन क्रशरों में से मेसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा व मैसर्स आर०बी० एसोसिएट, बिलबई काली पहाड़ी, कबरई, महोबा के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसके जांच के दौरान कोई समुचित साक्ष्य न पाये जाने के कारण बोर्ड के द्वारा जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस को पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पुष्टि संस्तुति सहित उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत की जा रही है।

15/1/20

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा।

d:\stone crusher ec\new 525 letter.docx

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 3

कृपया अवगत होना चाहें कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

O.A. No. 525/2019, Madan Pal Singh & Others Vs. U.P State Pollution Control Board & Ors. has been taken up on the report today and it was informed to the Tribunal that for stone crushers out of six have been closed down and the same is duly recorded in the aforesaid report. (A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.) So far as the rest of the two stone crushers are concerned show cause notice for closure has been issued the Tribunal, however raised a query regarding non-imposition of EC on account of illegal operation and non compliance of earlier show cause notice. Further the Tribunal has directed the Board to submit the report regarding inposition of EC and recovery of the amount within two weeks.

निम्नलिखित उद्योग पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार फार्मूला निम्नवत है–

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)

N=No. of days from which the non-compliance has been observed=

R= (R factor in Rupees).

S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).

LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba**, lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

There for EC=PI x N x R x S x LF

=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0 = 6250 x N

क्र0 सं0	उद्योग (स्टोन क्रशर का नाम व पता)	कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश का विवरण	डिफाल्टिंग (निरीक्षण) दिनांक	जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा बन्दी दिनांक	डिफाल्टंग अवधि (दिन)	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिदिन (रूपय में)	कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)	उद्योग को प्रेषित पत्र का विवरण (कारण बताओ नोटिस)	सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्रमशः दिनांक 30.06.2020 व 08.07.2020 के अनुमोदन के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाने के पत्र का प्रेषण
1	M/S Krishna Granite Kali Pahadi, Mahoba	Closed by Dist. Committee	04.09.2019	30.09.2019	27	6,250.00	1,68,750.00	1029/एन.जी.टी–154/ महोबा/20 दिनांक 09.01.2020	10-07-2020
2	M/S Paras Granite Bilbai, Kabrai, Mahoba.	Self Closed	27.09.2019	24.10.2019	28	6,250.00	1,75,000.00	1091/एन.जी.टी –525 /महोबा /20 दिनाक 14.01.2020	10-07-2020
3	M/S R.B Associate, Bilbai, Kalipahadi, Kabrai, Mahoba	Self Closed	01.01.2020	10.01.2020	10	6,250.00	62,500.00	1092/एन.जी.टी –525 /महोबा /20 दिनाक 14.01.2020	10-07-2020
Total EC							Rs. 4,06,250.00		

d:\stone crusher ec\new 525 letter.docx

Scanned with CamScanner

उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में वर्णित स्टोन कशर इकाईयों को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित करने एवं जल/वायु प्रदूषण अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू०पी० स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के अनुपालन उपरोक्त वर्णित तालिका में वर्णित अवधि हेतु कुल 03 स्टोन कशर्स इकाईयों को कुल रू 4,06,250.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजे जाने की मा० एन०जी०टी० के अदेशानुसार एवं बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अनुमोदन दिनांक 08.01.2020 व 14.01.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके अनुपालन में उपरोक्त तालिका में वर्णित स्टोन कशर इकाईयों को दिनांक 09.01.2020 व 14.01.2020 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उक्त तीनों स्टोन कशरों में से मेसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा व मैसर्स आर०बी० एसोसिएट, बिलबई काली पहाड़ी, कबरई, महोबा के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसके जांच के दौरान कोई समुचित साक्ष्य न पाये जाने के कारण बोर्ड के द्वारा जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस को पर्यावरण क्षतिपूति अधिरोपित किये जाने हेतु पुष्टि संस्तुति सहित दिनांक 20.03.2020 व मैसर्स कृष्णा ग्रेनाईट, काली पहाड़ी, कबरई, महोबा को दिनांक 24.03.2020 को आख्या प्रेषित की गई थी, जिसके उपरान्त कमशः दिनांक 30.06.2020 व 08.07.2020 को राज्य बोर्ड के सक्षम अधिकारी के अनुमादनोपरान्त उपरोक्त तीनों उद्योगों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु पत्र दिनांक 10.07.2020 को प्रेषित किया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत की जा रही है।

15/7/20

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

d:\stone crusher ec\new 525 letter.docx

Scanned with CamScanner